

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 265/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/427

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जगमालराम पुत्र हरीराम		1. वरीगराम पुत्र हरीराम
2. बगडूराम पुत्र हरीराम		2. लादूराम पुत्र नरसिंगराम
जाति विश्‍नोई		3. किशनाराम पुत्र मंगलाराम
निवासी उमरलाई जागीर		4. तुलसाराम पुत्र मंगलाराम
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		5. मांगी पत्‍नि सुरजाराम
		6. मालाराम पुत्र वगताराम
		7. घुडीदेवी पत्‍नि अर्जुनराम जाति विश्‍नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		8. सजनीदेवी पत्‍नि भीकाराम
		9. रामचन्द्र पुत्र प्रहलादराम
		10. बाबुराम पुत्र घोकलराम जाति विश्‍नोई निवासी डोली कला तहसील पचपदरा
		11. मांगीलाल पुत्र फगलूराम
		12. लादूराम पुत्र फगलूराम जाति विश्‍नोई निवासी उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-



1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री प्रेमसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 3 से 5
3. विप्रार्थी संख्या 1, 2 व 6 से 13 एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

## आदेश

दिनांक 19/03/2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुरंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 480/425 क्षेत्रफल 9.7630 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 480/425 क्षेत्रफल 9.7630 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह द्वारा विप्रार्थी संख्या 3 से 5 की ओर से वकालतनामा कर जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 1,2 व 6 से 13 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 480/425 क्षेत्रफल 9.7630 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 480/425 क्षेत्रफल 9.7630 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावे।

4. विप्रार्थी संख्या 3 से 5 अधिवक्ता ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यो के आधार पर होने के कारण चलने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण व विप्रार्थी के मध्य सीमाओं को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में विप्रार्थी की ओर से कभी दखलदान्जी नहीं की गई है, जबकि इसके विपरीत प्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी को परेशान किया जा रहा है तथा विवादित आराजी की सीमाज्ञान रिपोर्ट भी एकपक्षीय प्रार्थीगण की ओर से तैयार की गई है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी की खातेदारी भूमि



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बांदा

के सेठे लगते है। प्रार्थीगण के साथ विप्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 427/296 की नेखमबंदी करवाने का आवेदन पेश किया गया है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि के साथ विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की भी नेखमबंदी का आदेश किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपत्ति नहीं है।

5.हमने उभयपक्ष अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम उमरलाई जागीर तहसील पंचपदरा की खसरा संख्या 480/425 क्षेत्रफल 9.7630 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2074-2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। विप्रार्थी अधिवक्ता का वक्त बहस उजर की प्रार्थीगण के साथ विप्रार्थी की खातेदारी भूमि की भी नेखमबंदी की जावें। उक्त उजर स्वीकार योग्य नहीं है,क्योकि विप्रार्थी का प्रकरण पृथक से चल रहा है,उक्त प्रकरण में विधिक प्रक्रिया पुनः होने के पश्चात प्रकरण का निस्तारण होगा। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण के साथ विप्रार्थी के खेत की पैमाइश करने के आदेश नहीं दिए जा सकते है।

इस प्रकार हम हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :-धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 09.3.2023 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।



उपखण्ड अधिकारी  
(S.D.O.) बालोतरा

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उमरलाई जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 480/425 क्षेत्रफल 9.7630 हैक्टर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19/03/2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

19/03/2025